बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक— ह0क0सह0—(यो0/68 ईंच लूम/प्रतिवेदन)—09/2018 .... पटना, दिनांक— ....

प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
पटना/नालन्दा/मधुबनी/सीवान/नवादा/भागलपुर/बांका/गया/रोहतास/औरंगाबाद/कैमूर/बेतिया/अरवल/जहानाबाद।

विषय— 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक—अप मोशन सहित) योजनान्तर्गत नियमानुसार त्वरित गति से अभियान चलाकर लाभुक बुनकरों की चयन सूची प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक—अप मोशन सहित) योजनान्तर्गत राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.2017 तथा संलग्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' तथा राज्यादेश संख्या 1137 दिनांक 16.03.2018 एवं लाभुक बुनकरों की पात्रता से संबंधित शुद्धि पत्र संख्या 1883 दिनांक 07.05.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक—अप मोशन सहित) योजनान्तर्गत नियमानुसार त्वरित गति से अभियान चलाकर लाभुक बुनकरों की चयन सूची प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07 अगस्त, 2018 को "राष्ट्रीय हथकरघा दिवस" के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर कमलों द्वारा 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक—अप मोशन सहित) से संबंधित लाभुक बुनकरों की चयन सूची का प्रकाशन एवं लूम का वितरण किया जाना है।

अतएव इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/68 ईंच लूम/प्रतिवेदन)—09/2018 .... पटना, दिनांक— ....

प्रतिलिपि— प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / 68 ईंच लूम / प्रतिवेदन)–09 / 2018 ......1283...... पटना, दिनांक– ......23.7.18......
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.7.18

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक –ह0क0सह0–(यो0 / अनुदानित दर पर लूम)–02 / 2017 / 3026 पटना, दिनांक– 17-07-17

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :– राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सतरंगी चादर बनाने के लिए 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये मात्र की योजना की स्वीकृति, जिसमें राज्य सरकार का अनुदान राशि रू0 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) की स्वीकृति तथा इसमें से रू0 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सतरंगी चादर बनाने के लिए 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये मात्र की योजना की स्वीकृति, जिसमें राज्य सरकार का अनुदान राशि रू0 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) की स्वीकृति तथा इसमें से रू0 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) की विमुक्ति प्रदान करने की कृपा की है।

2. बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना से संबद्ध क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ एवं उनके अधीनस्थ प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के बुनकरों को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु तथा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ एक एकरारनामा किया गया है जिसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों के व्यवहरार्थ हस्तकरघा निर्मित सतरंगी चादरों की आपूर्ति राज्य संघ द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में की जा रही है। राज्य के बहुत से बुनकरों के पास 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) नहीं होने के कारण वे रोजगार उपलब्ध कराने की इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई बुनकर टूटा–फूटा हुआ पुराने लूम पर किसी तरह जोड़–तोड़ कर बुनाई का कार्य कर रहे हैं। वैसे बुनकरों को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1340 दि0–29.03.2017 द्वारा दी गई थी। परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण राशि की निकासी नहीं हो सकी।

4. विषयांकित योजना के कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना होंगे।

5. योजना का भौतिक एवं वित्तीय स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	लूम के प्रकार	लूम की सं0	कुल राशि	10% लाभुक अंशदान	राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि (90%)
1	68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)	500	1,50,00,000	15,00,000	1,35,00,000
	कुल	500	1,50,00,000	15,00,000	1,35,00,000

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना (राज्य संघ) को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि का 90% अनुदान राशि के रूप में कुल 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) रूपये मात्र वहन किया जायेगा। शेष 10% राशि अर्थात् 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये लाभुक का अंशदान होगा।

6. इस योजना का क्रियान्वयन संलग्न दिशा–निर्देश (अनुसूची– क) के अनुरूप किया जाएगा। पात्र बुनकरों से आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र (अनुसूची– ख) में प्राप्त किये जायेंगे।

7. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। समय–समय पर दिये जाने वाले निदेश का अक्षरशः अनुपालन बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. योजना में स्वीकृत राज्य सरकार की अनुदानित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) में से रू0 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) बजट शीर्ष, मुख्य शीर्ष 2851 –ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103–हथकरघा उद्योग, उपशीर्ष 0103 –हस्तकरघा विकास की योजना, माँग संख्या–23, विपत्र कोड 23–2851001030103, विषय शीर्ष 52 –मशीनरी एवं उपस्कर के अन्तर्गत 0103.52.02 मशीनें एवं उपस्कर– अन्य मद से 1,25,00,000/– (एक सौ पच्चीस लाख) रूपये विकलित होगा जिसके लिए आय–व्ययक अनुमान 2017–18 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

133

9. राज्य सरकार की कुल अनुदानित राशि 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) रूपये मात्र में से अवशेष राशि 10.00 लाख (दस लाख) रूपये का बजट उपबंध प्राप्त होने पर विमुक्त की जायेगी।

10. स्वीकृत अनुदानित राशि 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) रूपये की एकमुश्त में अग्रिम निकासी BTC-26 प्रपत्र पर वरीय लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर **RTGS** के माध्यम से बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, राजेन्द्रनगर, पटना के बैंक खाता में उपलब्ध करायेंगे।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017 के पृष्ठ 37 /टि0 पर दिनांक 22.06.2017 को प्राप्त है।

12. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017 के पृष्ठ 41 /टि0 पर दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जिसकी डायरी संख्या 77/OSD दिनांक 10.07.2017 है।

13. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनु0– अनुसूची– क एवं ख

विश्वासभाजन,

14-7-17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ 3026 पटना, दिनांक– 17-07-17

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-7-17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ 3026 पटना, दिनांक– 17-07-17

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-7-17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ 3026 पटना, दिनांक– 17-07-17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा– 1(स0), उद्योग विभाग/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पटना/नालन्दा/नवादा/गया/भागलपुर/बांका/सिवान/मधुबनी/रोहतास/औरंगाबाद/अरवल/कैमूर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/सहायक निबंधक बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-7-17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ 3026 पटना, दिनांक– 17-07-17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14-7-17

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– क

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के तहत 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) आपूर्ति हेतु योजना क्रियान्वयन का दिशा–निर्देश।

1. लाभुक बुनकरों द्वारा 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) का क्रय बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना (राज्य संघ) द्वारा सूचीबद्ध किए गए आपूर्तिकर्त्ता से किया जाएगा।
2. स्वीकृति आदेश निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर आपूर्तिकर्त्ताओं का सूचीकरण (Empanelment) एवं दर निर्धारण के निमित्त राज्य संघ द्वारा पारदर्शी तरीके से वित्त नियमावली के अनुसार अभिरूचि का आमंत्रण (Expression of Interest) समाचार पत्रों में विज्ञापित कराया जाएगा। लूम की तकनीकी विशिष्टता राज्य संघ द्वारा तय की जाएगी।
3. राज्य संघ की क्रय समिति में लूम की तकनीकी जानकारी रखने वाले तकनीकी पर्यवेक्षक तथा निदेशालय द्वारा नामित पदाधिकारी भी होंगे।
4. बुनकरों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जाती है–

– अध्यक्ष, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ/प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति (जिसे चादर बुनाई का कार्य राज्य संघ द्वारा दिया गया है)

– जिला में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त तकनीकी पर्यवेक्षक अथवा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

उक्त समिति कार्य स्थल पर जाकर पात्र बुनकरों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेगी। प्राप्त आवेदन के आधार पर सूची तैयार कर आवेदन पत्र सहित राज्य संघ को भेजा जाएगा। यह कार्य स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।

5. बुनकरों की समेकित सूची राज्य संघ द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें से लाभुकों का चयन उपर्युक्त कंडिका 3 में वर्णित समिति द्वारा किया जाएगा।
6. बुनकरों की पात्रता–

(i) बुनकर का पहचान पत्र होगा।

(ii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ/प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति से सम्बद्ध होंगे।

(iii) बुनकर का आधार कार्ड होगा।

(iv) बुनकर का अपना बैंक खाता होगा।

(v) इस योजना का लाभ वैसे हस्तकरघा बुनकरों को ही दिया जायेगा जिन्हें पूर्व में ऐसी सहायता प्राप्त नहीं हुई हों।

(vi) बुनकरों को 10% लाभूक अंशदान करघा अधिष्ठापन के पूर्व सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता के खाते में जमा करना होगा।

(31)

7 राज्य संघ की देख–रेख में उनके द्वारा तैयार किये गये Empanelled supplier एक पक्ष के अन्दर कैम्प आयोजित कर लूम का प्रदर्शन (Display) निम्न स्थलों पर करेंगे।

पटना	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना
अन्य जिला	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय अथवा महाप्रबंधक द्वारा चिन्हित जिला मुख्यालय स्थित अन्य स्थान

– कैम्प के दौरान राज्य संघ, संबंधित सहकारी समिति जिनके बुनकर सदस्यों का चयन हुआ है तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र उपस्थित रहेंगे। आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति की शर्तो को बताएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निविदा के अनुरूप गुणवत्ता का लूम प्रदर्शित किया गया है। राज्य संघ द्वारा इस कैम्प की सूचना Supplier, संबंधित पदाधिकारी तथा चयनित बुनकरों को दी जाएगी।

– इस कैम्प में प्रदर्शित लूम के अवलोकनोपरान्त चयनित बुनकर लूम की आपूर्ति हेतु राज्य संघ को अनुरोध करेंगे तथा लूम के मूल्य का 10% राशि जो इनका अंशदान होगा, आपूर्तिकर्त्ता के खाते में जमा करेंगे। यह सभी कार्य कैम्प के दौरान ही होगा।

– कैम्प आयोजन के उपरान्त राज्य संघ बुनकरों से प्राप्त आपूर्ति आदेश को संकलित कर आपूर्तिकर्त्ता को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराएँगे एवं इसकी सूचना संबंधित GM, DIC को देंगे।

8. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लाभुक बुनकर को लूम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करा कर लूम का ट्रायल (Processing अवस्था में) करना होगा। जिसका स्थल निरीक्षण संबंधित GM, DIC द्वारा किया जाएगा। लूम का संतोषप्रद आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं कार्यरत होने की सूचना राज्य संघ को उक्त पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। तदोपरान्त राज्य संघ द्वारा लाभुक के खाते में लूम के निर्धारित मूल्य का 90% राशि DBT द्वारा दी जाएगी। लाभुक बुनकरों की यह जिम्मेवारी होगी कि उनके खाता में राशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद यह राशि आपूर्तिकर्त्ता के खाते में जमा कर देंगे अन्यथा उनके विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। लाभुक बुनकर राशि जमा करने संबंधी सूचना संबंधित GM, DIC तथा राज्य संघ को अविलम्ब देंगे।

– लूम आपूर्तिकर्त्ता लूम की गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार होंगे। लूम आपूर्ति के एक वर्ष तक लूम सुचारू रूप से चले एवं इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं होने की गारंटी लेंगे। शिकायत पाए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– ख

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के तहत 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) आपूर्ति संबंधी योजना के लिए बुनकरों से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रखण्ड– जिला–

अद्यतन फोटो
स्वअभिप्रमाणित

1. बुनकर का नाम–
2. पिता / पति का नाम–
3. पता–
4. पुरुष– महिला– उम्र–
5. करघाधारी– गैर करघाधारी–
6. बुनकर का पहचान पत्र संख्या (छायाप्रति संलग्न)–
7. बुनकर का आधार कार्ड (छायाप्रति संलग्न)–
8. सम्बद्ध बुनकर सहकारी समिति से संबंधित निम्नवत् सूचनाएँ अंकित करें–

(क) क्षेत्रीय / प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का नाम–

(ख) निबंधन संख्या एवं तिथि–

(ग) निबंधित कार्यालय का पूरा पता–

(घ) समिति के अध्यक्ष का नाम–

(ड.) सदस्य बही के अनुसार सदस्यता संख्या–

7. बैंक खाता का ब्योरा (छायाप्रति संलग्न)–

(क) खाताधारी का नाम– (ख) खाता संख्या–

(ग) बैंक शाखा का नाम– (घ) IFSC Code–

स्थान–

दिनांक– बुनकर का हस्ताक्षर

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन–

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष, क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समिति /
प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति

(हस्ताक्षर)
तकनीकी पर्यवेक्षक / सहकारिता प्रसार पदा0

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक –ह0क0सह0–(यो0/68 ईंच फ्रेम लूम)– 07/2018 1883 पटना, दिनांक– 07.05.18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ह0 एवं ले0)
बिहार, पटना।

*अनौचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय– राज्यादेश सं0 3026 दिनांक 17.07.2017 एवं इसके क्रम में निर्गत राज्यादेश सं0 1137 दिनांक 16.03.2018 में बुनकरों की पात्रता के संबंध में प्रथम संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक–अप मोशन सहित) योजना का लाभ आवश्यकता आधारित राज्य के सहकारिता/गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को प्राप्त हो सके, इस हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.2017 तथा संलग्न अनुसूची–'क', 'ख' एवं राज्यादेश सं0 1137 दिनांक 16.03.2018 में निम्नांकित के अनुसार पात्रता की शर्तों को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाय :–

1. राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.2017 एवं राज्यादेश सं0 1137 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा स्वीकृत 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक–अप मोशन सहित) योजनान्तर्गत वैसे बुनकर भी पात्र होंगे जिनके पास 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक–अप मोशन सहित) उपलब्ध नहीं होने के कारण सतरंगी चादर योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे है।

2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के सदस्य बुनकर एवं व्यक्तिगत बुनकर जो पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करते है समान रूप से योजना के पात्र होंगे।

3. राज्यादेश में अन्य शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन,

07.05

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

Rajyadesh(B)-18

(20)

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/68 ईंच फ्रेम लूम)– 07/2018 1883 पटना, दिनांक– 07.05.18
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/68 ईंच फ्रेम लूम)– 07/2018 1883 पटना, दिनांक– 07.05.18
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा– 1(स0), उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/नालन्दा/नवादा/गया/भागलपुर/बांका/सिवान/मधुबनी/रोहतास/औरंगाबाद/अरवल/कैमूर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/68 ईंच फ्रेम लूम)– 07/2018 1883 पटना, दिनांक– 07.05.18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक --ह0क0सह0--(यो0/अनुदानित दर पर लूम)--02/2017 1137 पटना, दिनांक-- 16.03.18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा-- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-- **राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सतरंगी चादर बनाने के लिए 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु राज्यादेश सं0 3026 दि0 17.07.2017 द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार की अनुदान की राशि 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) में से प्रथम किस्त के रूप में रूपये 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) की विमुक्ति के क्रम में तृतीय अनुपूरक आगणन से द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त शेष राशि रूपये 10.00 लाख (दस लाख) की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश-- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्यादेश सं0 3026 दि0 17.07.2017
द्वारा राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सतरंगी चादर बनाने के
लिए 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास
लाख) रूपये मात्र की योजना की स्वीकृति, जिसमें राज्य सरकार का अनुदान राशि रू0 135.00 लाख (एक
सौ पैंतीस लाख) की स्वीकृति तथा इसमें से रू0 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) की विमुक्ति प्रदान
की गई है।

2. राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.2017 के आलोक में वार्षिक स्कीम 2017–18 के
अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन से शेष राशि रू0 10.00 लाख (दस लाख) की स्वीकृति एंव विमुक्ति प्रदान
की जाती है।

3. स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि 10.00 लाख (दस लाख) रूपये बजट शीर्ष, मुख्य शीर्ष
2851--ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103–हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष 0103–
हस्तकरघा विकास की योजना, माँग संख्या– 23, विपत्र कोड 23–2851001030103 विषय शीर्ष 52–मशीनरी
एवं उपस्कर के अन्तर्गत 0103.52.02 मशीने एवं उपस्कर-- अन्य मद से तृतीय अनुपूरक आगणन से विकलित
होगा।

4. स्वीकृत राशि रू0 10.00 लाख (दस लाख) की एकमुश्त अग्रिम निकासी BTC-26 प्रपत्र
पर वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास
भवन, पटना से कर डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ
लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को भुगतान किया जायेगा।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सख्या–
ह0क0सह0-- (यो0/अनुदानित दर पर लूम) 02/2017 के पृष्ठ 90/टि0 पर दिनांक 13.03.2018 को प्राप्त
है।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या– ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम) 02/2017
के पृष्ठ 93/टि0 पर दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया
जा रहा है।

7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्रधिकार पत्र
की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि के क्रियान्वयन के विषय पर राज्यादेश सं0 3026 दिनांक 17.07.2017 में वर्णित शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017 1137 पटना, दिनांक— 16.03.18
प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017 1137 पटना, दिनांक— 16.03.18
प्रतिलिपि— वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017 1137 पटना, दिनांक— 16.03.18
प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा—1 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/नालन्दा/नवादा/गया/भागलपुर/बांका/सिवान/मधुबनी/रोहतास/औरंगाबाद/अरवल/कैमूर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/सहायक निबंधक बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017 1137 पटना, दिनांक— 16.03.18
प्रतिलिपि— आई टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।